

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्या नौएडा/वरि0प्रबन्धक(नियोजन)/2020/IV - 1434/

दिनांक: 26/07/2020

प्रेषक-

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

**M/s Logix Infradevelopers Pvt. Limited,
A - 4 & 5, Sector - 16,
Noida, UP**

आपके आवेदन पत्र दिनांक 19.02.2020 के संदर्भ में स्पोर्ट सिटी भूखण्ड संख्या एस0सी0 - 01/बी, सेक्टर - 150, नौएडा के पुनरीक्षित भवन मानचित्र की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (मान्य निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है ।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नौएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा ।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा ।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढाव(प्रोजेक्टेड) न हों ।
6. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा ।
7. उप पट्टाधारक द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए ।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नौएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा ।
9. उप पट्टाधारक मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा ।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें ।
11. उप पट्टाधारक द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नौएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही उप पट्टाधारक उसे ढकेगा ।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो । पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा
13. उप पट्टाधारक को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।
14. उप पट्टाधारक निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नौएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा ।

15. पुनरीक्षित स्वीकृत ले-आउट प्लान की पत्रावली संख्या IV-1369 स्वीकृति नोएडा/मु0वा0नि0/2016/876, दिनांक 04.03.2016 के सभी नियम/प्रतिबन्ध एवं शर्तें आदि यथावत पूर्णरूप से सबलीज धारक पर भी लागू होगी तथा इस स्वीकृति का अभिन्न भाग रहेगा।
16. ब्रोशर, लीजडीड, सबलीज डीड, महायोजना, बिल्डिंग रेगुलेशन्स आदि के यथा संशोधित अध्यावधिक नियम, शर्तों, प्रतिबन्धों के प्रावधान इस स्वीकृति पर भी लागू माने जायेंगे।
17. स्पोर्ट सिटी की परियोजना के लिए ब्रोशर/लीज डीड में संलग्नक - 2 पर अंकित सुविधाओं के विकास एवं वित्तीय परिव्यय के अनुसार गुणवत्तापूर्वक कार्य कराने का दायित्व/सह दायित्व मूल लीज डीड धारक एवं सब लीज डीड धारक का संयुक्त रूप से रहेगा।
18. मनोरंजन(खेल, संस्थागत, अन्य सुविधाओं) के अनुपयोगित अनुपातिक एफ0ए0आर0 के आवासीय उपयोग से स्थानान्तरित कर निर्मित एवं उपयोग करने हेतु मनोरंजन घटक की सभी कार्य एवं सुविधाओं के गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुमत्य होगा, जिसको सबलीज डीड धारक के हिस्से में आने वाले भाग को मानचित्र में प्रस्तावित आवासीय निर्माण में फेस-2 के रूप में दर्शाया गया है। इससे पूर्व इस भाग की स्वीकृति मात्र प्रतीकात्मक रूप में ही मान्य होगी।
19. ग्रीन बिल्डिंग हेतु अनुमत्य अतिरिक्त 5% एफ0ए0आर0 भवन विनियमावली, 2010 के प्रावधानों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही अनुमत्य होगा, जिसका अनुपालन न करने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
20. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना-2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन्स तथा नोएडा भवन विनियमावली-2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में अनुमत्य क्रियायें एवं उपयोग तथा उसके सपोर्टिंग यूज में अनुमत्य क्रियायें एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
21. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैंड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड बेस्ड मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/ मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी यथा आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दायित्व आवेदक/उप पट्टाधारक होगा, अन्यथा मानचित्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे।
22. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक आवेदक को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
23. यह स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष ही अनुमत्य होगी।
24. स्पोर्ट सिटी / मनोरंजन / अन्य सुविधाओं हेतु प्रस्तावनाओं को आवासीय के साथ - साथ अथवा उससे पूर्व पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा इसकी प्रगति से निरन्तर प्राधिकरण को अवगत कराया जायेगा एवं प्रगति की सत्यापन सम्बन्धित वर्क सर्किल एवं मुख्य अभियन्ता (सिविल) से कराया जाना अनिवार्य होगा।
25. ले-आउट प्लान की स्वीकृति का उपयोग परियोजना के आधारभूत स्वरूप की गाइड लाइन्स के रूप में ही किया जायेगा। सभी विकास एवं निर्माण कार्यों को क्रियान्वित कराये जाने के समय अन्य तकनीकी एवं नियोजन सम्बन्धी मानकों का अनुपालन कराये जाने के सन्दर्भ में नोएडा प्राधिकरण द्वारा अन्य यथा आवश्यक परिवर्तन किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने पर उनका अनुपालन आवेदक को करना होगा।
26. यह स्वीकृति स्पोर्ट सिटी की परियोजना के भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की नियम एवं शर्तें/लीज डीड की शर्तें/नोएडा महायोजना-2031/नोएडा भवन विनियमावली -2010 के सुसंगत यथा प्रभावी प्रावधानों के अधीन होगी जिसके उल्लंघन की दशा में यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
27. यह स्वीकृति स्पोर्ट सिटी की यथा परिभाषित मुख्य क्रियाओं एवं उपयोग के साथ मुख्य परियोजना के स्वरूप में तथा उसके साथ अनुमत्य सीमा तक अनुसांगिक आवासीय एवं व्यवसायिक क्रियाओं एवं उपयोग के रूप में विकसित की जायेगी। मनोरंजन क्रिया हेतु आरक्षित क्षेत्र का अनुपयोगिता एफ.ए.आर. 5597.95 वर्ग मी0 जोकि

अनुमन्य आवासीय एफ0ए0आर0 का 13.61% है) का उपयोग आवासीय क्षेत्र के निर्माण में तभी उपयोग किये जाने की अनुमति होगी जब खेल, संस्थागत, अन्य सुविधायें तथा खुले स्थान को पूर्ण रूप से विकसित/निर्मित कर लिया जायेगा। नोएडा महायोजना-2031 के प्रस्तर- 5.9.3 के प्राविधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन करने के साथ इन्टीग्रेटेड मिनी टाउनशिप के रूप में सभी आधुनिक एवं विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाओं के साथ विकसित किये जाने का प्राविधान रखा जाना होगा। समस्त स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर, बिल्डिंग एवं परिसर, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निर्देशित मानकों के अनुसार विकसित करने तथा उससे अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त अधिभोग में लाया जायेगा।

28. ले-आउट प्लान के अनुरूप उसमें दर्शाये गये सभी प्रकार के भवन निर्माण किये जाने से पूर्व प्रत्येक भवन का उसके निर्धारित उपयोग के अनुसार नोएडा भवन विनियमावली-2010(यथा संशोधित सुसंगत प्रभावी प्राविधानों सहित)के अनुसार निर्धारित शुल्क व प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों तथा विस्तृत मानचित्रों के साथ पृथक से आवेदन कर पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
29. ले-आउट प्लान के अनुसार सम्पूर्ण परिसर एवं उसके अन्तर्गत सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना-2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन्स तथा नोएडा भवन विनियमावली-2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में स्पोर्ट सिटी के अन्तर्गत अनुमन्य क्रियायें एवं उपयोग तथा उसके सपोर्टिंग यूज में अनुमन्य क्रियायें एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
30. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्त के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत समीक्षा की जायेगी जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जायेगी। इसमें सभी प्रकार के भवन निर्माण एवं विकास कार्य, भौतिक अवस्थापना सुविधायें, सामुदायिक एवं जन सुविधाओं आदि का तकनीकी, नियोजन, डिजाइन, स्पेशिफिकेशन्स, आगणन, वित्तीय जीव्यता एवं अन्य पहलू, परियोजना कार्यों को पूर्ण करने का समयावधि चार्ट/ अनुरक्षण आदि का समावेश करते हुए प्राधिकरण को परीक्षण हेतु यथा निर्देशित प्रतियों में उपलब्ध करायी जायेगी जिसकी स्वीकृति उपरान्त ही विकास एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
31. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं लीज डीड की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आवेदक को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि एवं न्यूनतम निर्धारित वित्तीय परिव्यय के साथ परियोजना पूर्ण करनी होगी।
32. सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधायें तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी.आई.एस./आई.एस. के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।
33. स्पोर्ट सिटी के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैण्ड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड बेस्ड मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/ मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी। उपरोक्त सम्बन्धित सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। अन्यथा मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
34. स्पोर्ट सिटी के सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलिटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अथारिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।

35. इस स्वीकृति हेतु विभिन्न विभागों की आवश्यक समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं नौएडा प्राधिकरण से कब्जा प्रमाण पत्र एवं साइट प्लान तथा अदेयता प्रमाण पत्र तीस दिन के अन्दर प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी ।
36. स्पोर्ट सिटी के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यों, सामुदायिक एवं जन-सुविधायें, अवस्थापना सुविधायें, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुरक्षण आवेदक संस्था को स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में नौएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
37. स्पोर्ट सिटी के सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/ सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं/उपयोग आधारित क्रियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज, सब लेटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आवंटन नियमावली, लीज डीड, नौएडा प्राधिकरण के नियमों व नीतियों, भवन विनियमावली-2010, नौएडा महायोजना-2031(यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण की पूर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जायेगा।
38. भूखण्ड सं0-एस0सी0-01/ए एवं एस0सी0-01/बी के मध्य सम्पर्क हेतु अन्डरपास सड़क का निर्माण उच्च स्तरीय भारतीय सड़क निर्माण के मानकों के अनुरूप किया जायेगा।
39. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधायें एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
40. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य, अवस्थापना सुविधायें, जन सेवायें एवं सामुदायिक सुविधायें आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्ज, टैक्स, लेबी आदि (यथा लागू)भी सम्मिलित है।
41. गुणवत्तापूर्वक उच्चस्तरीय ढंग से परियोजना के क्रियान्वयन अवधि के समय तथा उसके उपरान्त अनुरक्षण, विशिष्ट खेल आयोजन अवसर पर विशेष व्यवस्था, संचालन, अनुरक्षण आदि के सम्बन्ध में नौएडा प्राधिकरण, स्थानीय प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन, सक्षम न्यायालय आदि के अन्य नीतिगत निर्णयों/निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से आवेदक को करना होगा।
42. यह स्वीकृति सदा सम्पूर्ण स्पोर्ट सिटी की परियोजना के एकीकृत भाग के रूप में ही मान्य होगी तथा स्वतंत्ररूप से किसी भवन परिसर के निर्माण की स्वीकृति का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा । सभी सब-लीज के भूखण्डों के मध्य कोई विभाजित करने वाला निर्माण यथा - बाउण्ड्री बॉल आदि का निर्माण किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगा ।
43. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा ।
44. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति मात्र यथावश्यक विभिन्न विभागों से एवं पर्यावरण सम्बन्धित आनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
45. प्रस्तावित भवन निर्माण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा रेरा(Real Estate Regulation and Development Act) 2016 के अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।
46. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 21/2012 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य तथा मूल प्रार्थना पत्र सं0 95/2014 संजय कुलश्रेष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 में दिये गये निर्माण कार्य हेतु दिशा निर्देशों एवं वन एवं

पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश - 2010 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे।

47. संदर्भित प्रकरण में लेबर सेस की धनराशि मौके पर निर्माण कार्य पूर्ण करने से पूर्व सम्बन्धित लेबर विभाग जमा कराकर प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
48. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के भवन निर्माण हेतु जारी दिशा - निर्देश, 2010 का पूर्णरूप से पालन करना होगा।
49. उप पट्टाधारक को विजिटर्स हेतु पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही करानी सुनिश्चित करें। सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें।
50. संदर्भित प्रकरण में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्राविधान परिसर के अन्दर करना होगा।

सब लीज भूखण्ड एस0सी0 - 01/बी, सैक्टर - 150 पर प्रस्तावित निर्माण हेतु विवरण

- भूखण्ड का क्षेत्रफल = 40,880.51 वर्ग मी0

- भू-आच्छादन का विवरण

श्रेणी	दिनांक 01.09.14 को स्वीकृत भवन मानचित्र (वर्ग मी0)	दिनांक 04.03.2016 को पुनरीक्षित ले-आउट के अनुसार अनुमन्य (वर्ग मी0)	वर्तमान में प्रस्तावित (वर्ग मी0)
आवासीय	4633.802	13,391.91	6987.639.00
वाणिज्यिक	1024.886	2500.00	4652.434
कुल	5658.688	15891.00	11,640.073

- एफ0ए0आर0 का विवरण

श्रेणी	दिनांक 01.09.14 को स्वीकृत (वर्ग मी0)	दिनांक 04.03.2016 को पुनरीक्षित ले-आउट के अनुसार अनुमन्य (वर्ग मी0)	सरेन्डर उपरांत अनुमन्य एफ0ए0आर0 (वर्ग मी0)	वर्तमान में प्रस्तावित (वर्ग मी0)
आवासीय	85,328.025	85,811.91	41560.91	41,131.117
वाणिज्यिक	16,347.084	16,389.37	16389.371	16251.080
कुल	101675.109	1,02,201.28	57950.280	57,382.197

- सेवा क्षेत्रफल का विवरण

दिनांक 01.09.14 को स्वीकृत (वर्ग मी0)	दिनांक 04.03.2016 को पुनरीक्षित ले-आउट के अनुसार अनुमन्य (वर्ग मी0)	वर्तमान में प्रस्तावित (वर्ग मी0)
9457.698	15330.19	8,686.283

● ड्वेलिंग यूनिट का विवरण

दिनांक 01.09.14 को स्वीकृत	दिनांक 04.03.2016 को पुनरीक्षित ले-आउट के अनुसार अनुमन्य	वर्तमान में प्रस्तावित
611	611	387

घनत्व (डेन्सिटी गणना)

- सब लीज भूखण्ड का क्षेत्रफल = 40,880.51 वर्ग मी0
- स्वीकृत ले-आउट के अनुसार अनुमन्य ड्वेलिंग यूनिट्स = 611 यूनिट
- अनुमन्य व्यक्तियों की संख्या = 611×4.5 = 2750 व्यक्ति
- कुल प्रस्तावित ड्वेलिंग यूनिट्स = 387 यूनिट
- कुल प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या = 387×4.5 = 1742 व्यक्ति

पार्किंग का विवरण

- आवासीय (41560.91/80) = 519.511 पार्किंग स्थल
- वाणिज्यिक (16389.37/50) = 327.787 पार्किंग स्थल
- कुल पार्किंग स्थल की आवश्यकता = 847.298 पार्किंग स्थल

प्रस्तावित पार्किंग का विवरण

आवासीय

- बेसमेंट में सामान्य पार्किंग(17857.902/30) = 595 पार्किंग स्थल
- स्टिल्ट में पार्किंग(151.302/30) = 5 पार्किंग स्थल
- कुल प्रस्तावित पार्किंग स्थल (ए) = 600 पार्किंग स्थल

वाणिज्यिक

- बेसमेंट में मेकेनिकल पार्किंग(2702.826/18) = 150 पार्किंग स्थल
- बेसमेंट में सामान्य पार्किंग(5422.094/30) = 180 पार्किंग स्थल
- कुल प्रस्तावित पार्किंग स्थल (बी) = 330 पार्किंग स्थल
- कुल प्रस्तावित पार्किंग स्थल(ए + बी) = 930 पार्किंग स्थल

हरित क्षेत्र का विवरण

- सब लीज भूखण्ड का क्षेत्रफल = 40,880.51 वर्ग मी0
- प्रस्तावित भू-आच्छादन = 11,640.073 वर्ग मी0
- कुल खुला क्षेत्रफल (40,880.51 - 11,640.073) = 29,240.437 वर्ग मी0
- हरित क्षेत्र की आवश्यकता (खुले क्षेत्र का 50%) = 14,620.219 वर्ग मी0
- प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल = 14,752.540 वर्ग मी0
- कुल पौधों की आवश्यकता $29,240.437/100 = 292.40 = 293$ पौधे

उप पट्टाधारक द्वारा मानचित्रों में कुल आवश्यक 293 पौधों के सापेक्ष में 306 पौधों की संख्या प्रस्तावित की गयी है, जिसमें से 50% पौधे लम्बी अवधि एवं घने छायादार दर्शाये गये हैं।

सैटबेक विवरण:-

सैटबेक	अनुमन्य (मी०)	प्रस्तावित (मी०)	
		तहखाना	भवन
अग्र	16.0	6.0	16.00
पृष्ठ	8.0	6.0	8.00
बाई साइड	12.0	6.0	12.00
दाई साइड	8.0	6.0	8.00

तल - वार विवरण

तल	उपयोग	अनुमन्य एफ.ए.आर. / क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	पूर्व स्वीकृत एफ.ए.आर./ क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	नॉन एफ.ए.आर./ सेवा क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	पुनरीक्षित एफ.ए.आर. / क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	पुनरीक्षित नॉन एफ.ए.आर./ सेवा क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
लोअर तहखाना						1030.643
अपर तहखाना	पार्किंग/ वाणिज्यिक				998.279	2185.129
स्टिल्ट	पार्किंग					
भूतल	आवासीय/ वाणिज्यिक/ कम्युनिटी	15891.00	5203.301	314.072	9743.091	563.539
प्रथम तल	आवासीय/ वाणिज्यिक/ कम्युनिटी		5215.343	423.189	9601.254	550.589
द्वितीय तल	आवासीय/ वाणिज्यिक/ कम्युनिटी		4782.206	404.852	9010.253	456.812
तृतीय तल	आवासीय/ वाणिज्यिक/		4782.206	404.852	6993.896	673.209
चतुर्थ तल	आवासीय		4782.206	404.852	4556.123	195.827
पंचम तल	आवासीय		4782.206	404.852	1097.144	118.139
छटवां तल	आवासीय		4782.206	404.852	1097.144	118.139
सातवां तल	आवासीय		4782.206	404.852	1092.908	118.139
आठवां तल	आवासीय		4782.206	404.852	1097.144	118.139
नौवा तल	आवासीय		4493.923	412.825	1097.144	118.139
दसवां तल	आवासीय		4493.923	412.825	1097.144	118.139
ग्यारहवां तल	आवासीय		4493.923	412.825	1092.908	118.139
बारवां तल	आवासीय		4493.923	412.825	1097.144	118.139
तेरहवां तल	आवासीय		4493.923	412.825	1097.144	118.139
चौदहवां तल	आवासीय		4493.923	412.825	1097.144	118.139
पन्द्रहवां तल	आवासीय		4493.923	412.825	1092.908	118.139

सोलहवां तल	आवासीय		4493.923	412.825	1095.806	118.139
सत्रहवां तल	आवासीय		4493.923	412.825	1095.806	118.139
अट्ठारहवां तल	आवासीय		4493.923	412.825	1095.806	118.139
उन्नीसवां तल	आवासीय		4493.923	412.825	1095.806	118.139
बीसवां तल	आवासीय		3451.627	296.585	-----	-----
इक्कीसवां तल	आवासीय		2552.399	202.188	-----	-----
बाइसवां तल	आवासीय		2343.844	157.552	-----	-----
टैरिस-ममटी/ मशीन रूम			-----	689.073	40.201	1258.450
कुल पूर्व स्वीकृत क्षेत्रफल	...		101675.109	9457.698	-----	-----
कुल पुनरीक्षित क्षेत्रफल (सरेन्डर उपरांत शेष एफ०ए०आर०)	-----	57950.28	-----	-----	57382.197	8686.283
लोअर तहखाना				26365.960	-----	364.666
अपर तहखाना				26365.960		28690.242
स्टिल्ट तल				141.315	-----	151.302
कुल नॉन एफ०ए०आर०				52873.235	-----	29206.210
कुल पूर्व स्वीकृत क्षेत्रफल (एफ०ए०आर०, नॉन एफ०ए०आर० तहखाना एवं सेवा क्षेत्रफल सहित)	= 101675.109 + 9457.698 + 52873.235 = 1,64,006.042 वर्ग मीटर					
कुल पुनरीक्षित क्षेत्रफल (एफ०ए०आर०, नॉन एफ०ए०आर० तहखाना एवं सेवा क्षेत्रफल सहित)	= 57382.197 + 8686.283 + 29,206.210 = 95,274.690 वर्ग मीटर					

स्पोर्ट सिटी/मनोरंजन का अवशेष एफ.ए.आर 5597.95 वर्ग मी० (जोकि अनुमन्य आवासीय एफ०ए०आर० 41,131.117 वर्ग मी० का 13.61% है) का उपयोग आवासीय/ग्रुप हाउसिंग के उपयोग में सभी मनोरंजन/स्पोर्ट सिटी सुविधाओं के पूर्ण होने के बाद किया जा सकेगा।

नोट:-स्पोर्ट सिटी एस०सी० - 01, सैक्टर - 150 के उप विभाजित भूखण्ड सं० एस०सी०-01/बी, सैक्टर - 150 के पुनरीक्षित भवन मानचित्र की स्वीकृति इस शर्त के साथ की जा रही है कि आपको इस पत्र के जारी होने की तिथि के 90 दिन के अन्दर प्राधिकरण के वाणिज्यिक विभाग से समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर नियोजन विभाग में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा यह स्वीकृत स्वतः निरस्त मानी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय,

Map for proposed Building is as per Bye
Laws. Submitted for approval please.

 Asstt. Archt. Architect

नाम.....
पद.....

नौएडा

प्रतिलिपि:- 1. विशेष कार्याधिकारी (वाणिज्यिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. वरि० प्रबन्धक(व०स० - 10) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।